

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2017 का आपराधिक (खंड.पीठ) संख्या.705

वर्ष 1996 के थाना वाद सं.-85, थाना-बैरिया जिला-पश्चिम चंपारण से उद्धृत

=====

1. लक्ष्मण चौधरी, पुत्र स्वर्गीय सीता चौधरी
2. हाकिम चौधरी, पुत्र लक्ष्मण चौधरी, दोनों निवासी गाँव-मियांपुर तिलंगना, थाना-बैरिया, जिला-पश्चिम चंपारण।
3. अम्रिका चौधरी उर्फ बिक्रम चौधरी
4. चंद्रिका चौधरी
5. भोला चौधरी उर्फ भोला साहनी, सभी पुत्र- स्वर्गीय राज हरन चौधरी, सभी निवासी-गाँव-मलाही बाजार, थाना-पहाड़पुर, जिला-पूर्वी चंपारण।

... ...याचिकाकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

... ... प्रत्यर्थी

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थियों के लिए :	श्री उमेश चंद्र वर्मा, अधिवक्ता
	श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
	श्री हेमंत रे, अधिवक्ता
	श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
	श्री शरद कुमार वर्मा, अधिवक्ता
	सुश्री रश्मि झा, अधिवक्ता
राज्य के लिए :	कुमारी शशि बाला वर्मा, एपीपी

=====

अधिनियम/धारा/नियम:

- दंड प्रक्रिया संहिता (आप०दं०सं०), 1973-धारा 313
- भारतीय दंड संहिता (आ०दं०सं०) धारा 147, 302, 148, 149 और 323

संदर्भित मामले:

- ब्रह्मदेव साहनी बनाम बिहार राज्य, आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं० 521/2015

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दायर अपील- के फैसले के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा का आदेश भा०दं०सं० की धारा 147, धारा 302, धारा 149, धारा 148, धारा 323 के तहत दोषसिद्धि और सजा- प्राथमिकी, फर्दबयान के आधार पर दर्ज की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि मुखबीर और मुखबीर के भाई पर अपीलकर्ताओं पर हमला किया गया था। मुखबीर के भाई की मौत हो गई जबकि मुखबीर के सिर पर चोट लगी।

निर्धारित:- चिकित्सीय साक्ष्य और चश्मदीद गवाह के साक्ष्य में विसंगति है- यहां तक कि हलांकि प्रत्यक्षदर्शी, जो मृतक के करीबी रिश्तेदार है, ने कहा कि उन्हें भी चोटें लगी हैं, उनके चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिस चिकित्सक ने गवाहों को इलाज किया था, से पूछताछ नहीं की गई है। आई.ओ. की जांच नहीं की गई है- आप०दं०सं० की धारा 313 का पालन उचित नहीं रहा है क्योंकि आरोपी से केवल एक सवाल पूछा गया था-छह स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है- मृतक केवल पाँच निकट संबंधी ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है और इसलिए उनके बयान की सावधानीपूर्वक जाँच की आवश्यकता है- अभियोजन, अपीलार्थी के खिलाफ मामले को साबित करने में विफल रहा- उचित संदेह से परे आरोपी, इसलिए अपील की अनुमति दी जाती है।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायाधिश श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

मौखिक निर्णय

(द्वारा:माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तिथि: 15-02-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दायर की गई है (जिसे इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित किया गया है) दिनांकित 09.05.2017 के दोषसिद्धि के फैसले और दिनांकित 17.05.2017 के सजा के आदेश के खिलाफ, जिसे विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी-II, बेतिया द्वारा सत्र विचरण सं 697/97 के संबंध में पारित किया गया है, जो बैरिया थाना मामले सं. 85/96 से उद्भूत होता है, जिसके तहत सभी अपीलकर्ताओं को भा.द.सं. की धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, अपीलकर्ताओं, हकीम चौधरी, चंद्रिका चौधरी, अमिका चौधरी उर्फ बिक्रम चौधरी और भोला चौधरी उर्फ भोला साहनी को भा.दं.स. की धारा 302/149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, अपीलकर्ता लक्ष्मण चौधरी और हकीम चौधरी को भा.दं.सं. की धारा 148 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, अपीलकर्ता लक्ष्मण चौधरी को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, अपीलकर्ता चंद्रिका चौधरी, अमिका चौधरी उर्फ बिक्रम चौधरी और भोला चौधरी उर्फ भोला साहनी को भा.दं.सं. की धारा 323 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और सभी अपीलकर्ताओं भा.दं.सं. की धारा 147 के तहत दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, अपीलार्थी लक्ष्मण चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एवं भा.द.स. की धारा 302 के तहत दोष के लिए रु. 10,000/- का जुर्माना एवं अपीलार्थीगण लक्ष्मण चौधरी एवं हकीम चौधरी को आगे

तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई एवं भा.दं.सं. की धारा 148 के तहत दोष के वास्ते प्रत्येक को रु.5,000/- का जुर्माना एवं अपलार्थीगण चन्द्रिका चौधरी, अम्रिका चौधरी उर्फ विक्रम चौधरी एवं भोला चौधरी को भा.द.स. की धारा 323 के तहत दोष के वास्ते आगे एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर, अपीलार्थियों को इस प्रकार लगाए गए प्रत्येक चूक के लिए छह महीने के कठोर कारावास की सजा से गुजरना होगा। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

2. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है:

2.1. योगी चौधरी का *फरदबेयान* 20 जुलाई, 1996 को एम. जे. के. अस्पताल में लगभग 13 बजे दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20.07.1996 को प्रातः नेमी चौधरी, सूचना देने वाले के भाइयों में से एक, अपने घर के पश्चिम में स्थित अपने खेत में खेती कर रहा था। इस बीच, *भाला* से लैस लक्ष्मण चौधरी, *भाला* से लैस हकीम चौधरी, *लाठी* से लैस हुकुम चौधरी, *लाठी* से लैस चंद्रिका चौधरी, बिक्रम चौधरी और *लाठी* से लैस भोला चौधरी वहां पहुंचे। अचानक आरोपी लक्ष्मण चौधरी पर आरोप है कि उसने *भाला* के माध्यम से नेमी चौधरी पर उसकी बाईं जांघ पर हमला किया था। बाकी अभियुक्तों ने *लाठी* द्वारा उस पर हमला किया। *भाला* से उन पर हमला भी किया जिससे उनके बाएं पैर में चोट लग गई। उनकी *भाभो* राजपति देवी पर भी *भाला* से उनकी बाईं कलाई पर हमला किया था। सभी घायलों को अस्पताल लाया गया और इलाज के दौरान मुखबिर के भाई नेमी चौधरी की मौत हो गई। मुखबिर के सिर पर भी चोट लगी है।

3. उक्त *फरदबेयान* की रिकॉर्डिंग के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि औपचारिक प्राथमिकी लगभग 03 बजे में संध्या 21.07.1996 को दर्ज की गई और वही 22.07.1996 को अदालत में प्राप्त हुआ। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जाँच अधिकारी ने जाँच शुरू की। जाँच के दौरान, जाँच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और दस्तावेजी साक्ष्य भी एकत्र किए और उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आरोपी के खिलाफ

आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे संबंधित सत्र न्यायालय को सौंप दिया जहां इसे सत्र परीक्षण सं.697/97 के रूप में दर्ज किया गया था।

4. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों से पूछताछ की और उसके बाद संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया। मुकदमे के समापन के बाद, निचली अदालत ने विवादित फैसला सुनाया जिसके खिलाफ अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

5.2. श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अपीलार्थियों के विद्वान वकील और कुमारी शशि बाला वर्मा ने राज्य के लिए विद्वान सहायक लोक अभियोजन को सुना।

6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील मुख्य रूप से प्रस्तुत करेंगे कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई रही है। यह समर्पित किया गया है कि सूचना देने वाले के मामले के अनुसार, घटना लगभग 08 बजे सुबह 20 जुलाई, 1996 को हुई। हालाँकि, *फरदबेयान* को उसी दिन लगभग 1 बजे दोपहर को दर्ज किया गया था। इसके बाद 03 बजे दोपहर में 21.07.1996 को औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि, आश्चर्यजनक रूप से निर्धारित प्रारूप में यह उल्लेख किया गया है कि इसकी प्रति 20 जुलाई, 1996 को ही संबंधित अदालत को भेजी गई थी। हालाँकि, औपचारिक प्राथमिकी से यह आगे पता चलता है कि वास्तव में अदालत को 22.07.1996 को उक्त एफ. आई. आर. प्राप्त हुई है। इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि प्राथमिकी में उल्लिखित तिथि में विसंगति है जिससे यह कहा जा सकता है कि इसमें अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाया गया है। यह समर्पित किया जाता है कि क्षेत्र दंडाधिकारी को प्राथमिकी भेजने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। उक्त तर्क के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने **मेहराज सिंह और अन्य बनाम यू.पी. राज्य एवं अन्य में प्रतिवेदित (1994) 5 एस सी सी 188** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के कंडिका 12 पर भरोसा किया। उन्होंने **अर्जुन मारिक और अन्य बनाम बिहार**

राज्य जो 1994 पूरक (2) एस सी सी 372 में प्रतिवेदित हुआ, के मामले में दिए गए निर्णय के कंडिका-24 पर भी भरोसा रखा।

6.1.अपीलार्थियों के विद्वान वकील आगे समर्पित करते हैं कि अभियोजन पक्ष ने हालांकि छह स्वतंत्रता गवाहों से पूछताछ की है, उनमें से किसी ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और वे शत्रु बन गए हैं। इस स्तर पर, यह इंगित किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने तथाकथित चश्मदीद गवाहों, जो मृतक के निकट संबंधी हैं, द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा करने के बाद विवादित निर्णय पारित किया है। अभिलेख से यह भी बताया गया है कि तथाकथित चश्मदीद गवाहों की गवाही में बड़े विरोधाभास और विसंगति हैं जो घटना के स्थान पर उक्त चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति पर संदेह पैदा करती है। विद्वान वकील ने **सुनील कुमार संभुदयाल गुप्ता एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010)13 एस.सी.सी 657** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के कंडिका 16 पर भरोसा किया है।

6.2.अपीलार्थियों के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेख से यह भी इंगित किया गया है जाँच अधिकारी की भी जाँच नहीं की गई है एवं इसलिए बचाव पक्ष जाँच अधिकारी के प्रति परीक्षण का महत्वपूर्ण अधिकार खो दिया है एवं इसके अपीलार्थी के बचाव में गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है। विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा है:

(i) **कर्नाटक राज्य बनाम भास्कर कुशाली कोठारकर, (2004) 7 एस. सी. सी. 487** में प्रतिवेदित, कंडिका-6

(ii) **रविश्वर मांझी और अन्य बनामझारखंड राज्य, (2008) 16 एस. सी. सी. 561, पैराग्राफ-2 में सूचित**

(iii) **मुन्ना लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2023 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 80, पैराग्राफ-39 में प्रतिवेदित**

(iv) **ब्रह्मदेव साहनी बनाम बिहार राज्य और आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.521 का 2015 में पारित एक और अन्य समान मामला**

6.3 इसके बाद अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने अभि.साक्षी-12, डॉ. दिवाकर प्रसाद द्वारा दिए गए बयान को संदर्भित किया, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम किया था। यह समर्पित किया जाता है कि मृतक के शव पर केवल एक चोट पाई गई थी। हालाँकि, मुखबिर सहित तथाकथित चश्मदीद गवाहों के मामले के अनुसार, दो से अधिक अभियुक्तों ने मृतक को अलग-अलग हथियारों से मारा और इसलिए, चिकित्सा साक्ष्य तथाकथित चश्मदीद गवाहों के बयान का समर्थन नहीं करते हैं। इसलिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि तथाकथित चश्मदीद गवाहों की गवाही को खारिज करने की आवश्यकता है। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने **राम नारायण सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1975) 4 एस. सी. सी. 497** में सूचित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के कंडिका-14 पर भरोसा किया है।

6.4. अपीलार्थियों के विद्वान वकील अंत में प्रस्तुत करते हैं कि संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करते समय अपीलार्थियों-अभियुक्त से केवल एक सवाल पूछा गया था। यह समर्पित किया जाता है कि अभियुक्त को निर्दोष साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए और इसलिए, उनके खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्तिजनक सामग्री/साक्ष्य के साथ उसका सामना किया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा है:

(i) **रीना हज़ारिका बनाम असम राज्य, (2019) 13 एस. सी. सी. 289, पैराग्राफ 19-21 में रिपोर्ट किया गया है।**

(ii) सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2021) 6 एस. सी. सी. 1, पैराग्राफ-22 में रिपोर्ट किया गया है।

(iii) कालीचरण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2023) 2 एस. सी. सी. 583, पैराग्राफ 27-29 में सूचित

6.5.इसलिए अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि जब अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, तो निचली अदालत को उन्हें बरी कर देना चाहिए था। हालाँकि, निचली अदालत ने दोषसिद्धि का विवादित निर्णय पारित कर दिया है, इसलिए उक्त निर्णय को रद्द कर दिया जाए और दरकिनार कर दिया जाए।

7. दूसरी ओर विद्वान एपीपी कुमारी शशि बाला वर्मा ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है। विद्वान सहायक लोक अभियोजक समर्पित करते हैं कि सूचना देने वाला और तीन अन्य घायल चश्मदीद गवाह जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और इसलिए, जब चार घायल चश्मदीद गवाहों ने विशेष रूप से प्रत्येक अपीलार्थी-आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया है और विशिष्ट भूमिका के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है, तो निचली अदालत ने विवादित निर्णय पारित करते समय कोई त्रुटियाँ नहीं की हैं। यह आगे समर्पित किया जाता है कि यद्यपि प्रयास किया गया, जांच अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी, इसलिए इसका लाभ अपीलार्थी-अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए विद्वान एपीपी ने आग्रह किया कि इस अपील को खारिज कर दिया जाए।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रचार की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने कागजी पुस्तक और एल. सी. आर. सहित अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अध्ययन किया। अभिलेख से यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, घटना 08:00 बजे सुबह 20 जुलाई, 1996 को हुई। हालाँकि, सूचना देने वाले

योगीलाल चौधरी का *फ़र्दबयान* 01.00 बजे दोपहर में 20 जुलाई, 1996 को दर्ज किया गया। यह आगे पता चला है कि औपचारिक एफ. आई. आर. 24 घंटे से अधिक समय के बाद, यानी 21.07.1996 को लगभग 3.00 बजे दोपहर में दर्ज की गई। संबंधित अदालत को उक्त प्राथमिकी की प्रति 22.07.1996 को प्राप्त हुई है। अभिलेख से यह आगे पता चलता है कि अभि साक्षी-1, अभि साक्षी-2, अभि साक्षी-3, अभि साक्षी-5, अभि साक्षी-7, एवं अभि साक्षी-8 अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, एवं इसलिए, उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया और अभियोजन पक्ष का मामला सूचना देने वाले के पुत्र अभि. साक्षी-4, सूचना देने वाले अभि. साक्षी-6, मृतक के पुत्र अभि. साक्षी-9, सूचना देने वाले की पत्नी अभि. साक्षी-10, और मृतक की पत्नी अभि. साक्षी-11 द्वारा दिए गए बयान पर निर्भर करता है। इस प्रकार, उपरोक्त मृतक के निकट संबंधी हैं और इसलिए, वे इच्छुक गवाह हैं, इसलिए, विभिन्न मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, उक्त गवाहों के बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

9. अभि. साक्षी-4, वोकिल चौधरी ने अपने प्रमुख प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि लक्ष्मण, हकीम, *भाला*, हुकुम, चंद्रिका, भोला और अम्रिका *लाठी* से लैस घटना स्थल पर आए और लक्ष्मण ने कहा कि उन्हें मार दें। हकीम ने *भाला* के माध्यम से योगी पर हमला किया जो उनकी पसली में लग गया और योगी नीचे गिर गया। इसके बाद सभी अभियुक्तों ने योगी पर *लाठी* से हमला किया। यह भी आगे कहा जाता है कि नेमी वहाँ से भाग गया और लक्ष्मण ने कहा कि उसे मार डालो। सभी अभियुक्तों ने नेमी को घेर लिया और लक्ष्मण ने उस पर *भाला* से हमला कर दिया। हकीम ने भी नेमी को उसके अंडकोष में *भाला* के माध्यम हमला किया और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने उस पर *लाठी* से हमला किया। जब नेमी की पत्नी, राजपतिया उसे बचाने आई, तो लक्ष्मण ने उस पर भी *भाला* से हमला किया, जिससे उसकी बाईं बांह में चोट लग गई। सभी घायल व्यक्तियों को बेतिया अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान नेमी की मौत हो गई। यह गवाह आगे अपने मुख्य-प्रति-परीक्षण में बयान देते हुए इस घटना का कारण यह

बताया है कि उनके दादा ने उनकी मृत्यु से पहले ही संपत्ति वितरित कर दी थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद लक्ष्मण चौधरी का कहना है कि जिस क्षेत्र में यह घटना हुई वह उनका है। यह भी कहा जाता है कि चंद्रिका चौधरी, भोला चौधरी और अम्रिका चौधरी लक्ष्मण के बहनोई हैं और घटना से चार दिन पहले से लक्ष्मण के घर में रह रहे थे।

10. अभि. साक्षी-6, योगीलाल चौधरी ने अपने जाँच प्रमुख में बयान दिया है कि यह घटना चार साल पहले हुई थी। शनिवार का दिन था। 08 बजे प्रातः वह अपने खेत में खेती कर रहा था। नेमी चौधरी उनके भाई थे। नामी चौधरी भी अपने खेत में खेती कर रहे थे। इस गवाह ने अपनी जाँच-प्रमुख में आगे कहा कि उसी समय, लक्ष्मण और हकीम चौधरी *भाला* से लैस थे, हुकुम चौधरी, चलीतर, अम्रिका और भोला चौधरी *लाठी* से लैस होकर आए और नेमीलाल पर हमला करना शुरू कर दिया। अभियुक्त लक्ष्मण ने *भाला* के माध्यम से नेमी पर हमला किया। हकीम पर भी *भाला* से बाईं जांघ पर हमला किया। यह भी आगे बयान दिया जाता है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने *लाठी* के माध्यम से उस पर और उसके भाई पर हमला किया। इस गवाह ने अपने जाँच प्रमुख में आगे कहा कि जब नेमी की पत्नी, अर्थात्, राजपति देवी अपने पति को बचाने गई, तो उसे भी *भाला* के कारण बाएं हाथ में चोट लगी। इस गवाह को भी चोट लगी। यह आगे बयान दिया गया है कि उनके सिर पर *लाठी* से और उनके पेट पर *भाला* से भी हमला किया गया था। यह अपदस्थ किया जाता है कि ग्रामीण उन्हें बेतिया अस्पताल लाए थे।

10.1.अभि.साक्षी-6, योगीलाल चौधरी ने अपनी जिरह में कहा कि जिस जमीन पर यह घटना हुई वह उनके दादा की थी। उनके दादा का नाम गोगा चौधरी था। जिस भूमि पर यह घटना हुई, उसका क्षेत्रफल 5.75 कट्ठा है। इस गवाह ने जय चौधरी द्वारा और लक्ष्मण चौधरी के पक्ष में उपहार विलेख के निष्पादन की कहानी का खंडन किया है। अभि. साक्षी-6, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहा कि उसका हिस्सा उस भूमि के उत्तर की ओर पड़ता है जिस पर यह घटना हुई थी। लक्ष्मण चौधरी का हिस्सा बीच में और नेमीलाल का हिस्सा दक्षिण में है। लक्ष्मण के बेटे हकीम और हुकुम दोनों हमले में

शामिल थे। चंद्रिका, अंबिका और भोला लक्ष्मण के बहनोई हैं। इस गवाह ने अपनी जिरह में आगे कहा कि सभी छह अभियुक्त व्यक्तियों ने उन पर एक साथ हमला किया। यह गवाह भी चोट लगने के बाद मैदान में गिर गया। सिर पर चोट लगने के बाद वह नीचे गिर गए। अभि. साक्षी-6 ने अपनी जिरह में आगे कहा कि उन्हें अगले दिन 11 बजे प्रातः अस्पताल में होश में आया। हकीम, हुकुम और लक्ष्मण को बेतिया सरकारी अस्पताल से गिरफ्तार किया गया था और वह यह नहीं कह सकते कि अस्पताल के किस स्थान से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अभि. साक्षी-6 द्वारा प्रतिपरीक्षा में आगे यह बताया गया है कि उनके कपड़े में खून के धब्बे मौजूद थे। उसने खून से दागदार कपड़ा *दरोगा जी* को नहीं दिया था।

11. अभि. साक्षी-9, सुशील चौधरी, जो मृतक पुत्र हैं, ने अपने जाँच प्रमुख में कहा है कि लक्ष्मण चौधरी, हकीम चौधरी, *भाला* से लैस थे हुकुम चौधरी, चंद्रिका चौधरी, भोला चौधरी और अम्बिका चौधरी लाठी से लैस उनके खेत में आए थे। अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके पिता पर *लाठी* से हमला करना शुरू कर दिया। इस गवाह ने अपनी जाँच-पड़ताल में आगे कहा कि उसके पिता ग्राम की ओर भागे। उसके चाचा भी भाग गए। वह और उसकी माँ भी भाग गए। जब उसके चाचा कुछ दूर आए तो हकीम चौधरी ने भाला से उसके पसली पर हमला किया और आरोपी व्यक्तियों ने भी उस पर *लाठी* से हमला किया। अभि. साक्षी-9 ने अपने जाँच-प्रमुख में आगे कहा कि जब उनके पिता दौड़ रहे थे, तो वह बलदेव चौधरी के खेत में गिर गए और उसके बाद लक्ष्मण चौधरी ने उसके पिता पर *भाला* के माध्यम से उनकी जाँघ पर हमला किया और हकीम चौधरी ने उसके पिता पर *भाला* के माध्यम से उसके पसली पर हमला किया। अन्य अभियुक्तों ने भी *लाठी* के माध्यम से उसके पिता पर हमला किया। जब उसकी माँ उसके पिता को बचाने गई, तो लक्ष्मण चौधरी ने भी *भाला* के माध्यम से उस पर हमला किया। यह गवाह आगे अपने जाँच-इन-चीफ में अपदस्थ किया कि हुकुम चौधरी ने *लाठी* के साथ उन पर हमला किया

था। जब ग्रामीण आए तो आरोपी पूर्व की ओर भाग गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनके पिता की मौत हो गई थी।

11.1.अभि. साक्षी-9 ने अपनी जिरह में कहा कि आरोपी व्यक्ति पूर्व से आए थे। अभियुक्त व्यक्ति सबसे पहले योगी लाल के पास गए। योगी लाल भाग गया और उसके बाद उसके पिता नेमी भी भाग गए। योगी लाल को मैदान में चोट नहीं लगी। दोनों एक ही दिशा में भाग गए। अभि. साक्षी-9 द्वारा अपनी जिरह में आगे यह बयान दिया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने योगी को घेर लिया और उस पर हमला किया। वह बेहोश हो गया। जब वह बेहोश हो गया तो आरोपी व्यक्ति उसके पिता के पास गए। योगी पूर्व की ओर भाग रहा था और आरोपी व्यक्ति भी पूर्व की ओर भाग रहे थे। यह और अपदस्थ किया जाता है कि जब उसकी माँ पर हमला किया गया था, तो उसके पिता बेहोश थे। बैद्यनाथ चौधरी, तिलक चौधरी, गणेश महतो, हीरालाल महतो अपने पिता को ले आए। यह आगे बयान दिया गया है कि खेत में खून गिरा था। खेत में पानी था और बारिश हो रही थी। योग लाल ने अस्पताल से एस. पी. को फोन किया। लक्ष्मण चौधरी और अन्य आरोपी व्यक्ति बेतिया अस्पताल में पुलिस को बयान दे रहे थे। वे उसी समय पहुँच गए। जब उसके चाचा ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस आई और उनका बयान दर्ज किया गया। दारोगा जी ने *दारोगा जी* ने घटना स्थल से कुछ भी नहीं उठाया। इस गवाह ने पुलिस को बताया कि योगी लाल और नेमी लाल अलग-अलग खेतों में जुताई कर रहे थे। अभि. साक्षी-9 ने पुलिस को बताया कि रास्ते में ही उसके पिता की मौत हो गई थी।

12. योगी चौधरी की पत्नी अभि. साक्षी-10 हीरामती देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि लक्ष्मण चौधरी, हकीम चौधरी, हुकुम चौधरी, चंद्रिका चौधरी, अम्रिका चौधरी और भोला चौधरी *लाठी* और *भाला* लेकर आए थे। हकीम और लक्ष्मण *भाला* के साथ आए। हकीम चौधरी ने *भाला* के माध्यम से उसके स्वामी पर उसकी पसलियों के पिंजरे में हमला किया। उसका स्वामी गिर पड़ा। इसके बाद लक्ष्मण चौधरी और हुकुम ने हमला किया। जब नेमी लाल बलदेव चौधरी के खेत में गिर गया तो

हकीम, हुकुम, लक्ष्मण, भोला और अम्रिका ने उस पर हमला कर दिया। जब नेमी चौधरी की पत्नी उसे बचाने गई तो लक्ष्मण चौधरी ने उस पर हमला कर दिया। लक्ष्मण चौधरी और हकीम चौधरी ने *भाला* के माध्यम से नेमी पर हमला किया। बाकी अभियुक्तों ने उन पर *लाठी* से हमला किया।

12.1.अभि.साक्षी-10 ने अपनी जिरह में कहा कि जिस खेत में यह घटना हुई वह उसके घर से 5.5 बीघा की दूरी पर स्थित है। इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहा कि उसका पति उससे पहले खेत में जुताई करने गया था। लक्ष्मण चौधरी सहित छह लोग लड़ने आए थे। यह भी आगे कहा जाता है कि चोट लगने के बाद नेमी लाल बेहोश हो गए थे। हकीम चौधरी ने उसके पति पर हमला किया। उसके पति के सिर और पसलियों पर चोटें आई हैं। घायल को घर लाया गया। उस समय तक नेमी जीवित थी। यह भी आगे कहा जाता है कि वह नहीं जानती कि लक्ष्मण चौधरी को चोट लगी है। वह अस्पताल नहीं गई थी। उसका मालिक तीन दिन बाद शव ले आया। दारोगा जी सुबह लगभग 8 बजे घटना के दिन घटनास्थल पर आए। इस गवाह ने दारोगा जी को बताया कि उनके पति खेत की जुताई कर रहे थे। उसने यह भी बताया कि हकीम और हुकुम *भाला* से लैस थे। अभि. साक्षी-10 ने अपनी जिरह में आगे कहा कि उसने दारोगा जी को बताया कि उसका स्वामी गिर गया और उसके बाद लक्ष्मण चौधरी ने उस पर हमला किया। उसने यह भी बताया कि हकीम चौधरी ने नेमी चौधरी की पत्नी पर हमला किया।

13. अभि. साक्षी-11, राजपति देवी, जो मृतक नेमी चौधरी की पत्नी हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि लक्ष्मण चौधरी, हकीम चौधरी, *भाला* से लैस थे हुकुम चौधरी, चंद्रिका चौधरी, अम्रिका चौधरी और भोला चौधरी *लाठी* से लैस होकर उनके खेत में आए थे। योगी लाल चौधरी पर हकीम चौधरी ने *भाला* के माध्यम से हमला किया और लक्ष्मण चौधरी ने बलदेव चौधरी के मैदान में *भाला* के माध्यम से नेमी चौधरी पर हमला किया। इस गवाह ने आगे अपनी जाँच-इन-चीफ में कहा कि हकीम चौधरी ने नेमी के पसली के पिंजरे में *भाला* के साथ हमला किया और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने *लाठी*

से हमला किया। जब वह बचाने गई तो लक्ष्मण चौधरी ने भी *भाला* को हाथ में लेकर उस पर हमला कर दिया।

13.1.अभि. साक्षी-11 ने अपनी जिरह में कहा कि सबसे पहले योगी लाल पर हकीम ने *भाला* के साथ हमला किया था। चोट लगने के बाद योगी चौधरी नीचे गिर गए। इसके बाद उन पर *लाठी* से हमला किया गया।

14. अभि. साक्षी-12 डॉ. दिवाकर प्रसाद ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि एक महत्वपूर्ण रक्त वाहिका वहाँ से गुजरती है जहाँ से मृतक को चोट लगी है। यह हिस्सा शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसे याद नहीं है कि मृतक के कपड़ों पर खून था या नहीं। इस गवाह ने अपनी जिरह में आगे कहा कि उसने मृतक के कपड़े सिपाही को दे दिए थे। उन्होंने उन सामग्रियों को सील नहीं किया। यह और बयान दिया जाता है कि उसे नहीं पता कि मृत शरीर के आने के समय आरोपी व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था या नहीं। अभि. साक्षी-12 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहा कि यदि कोई व्यक्ति हल के लोहे के हिस्से पर गिरता है, तो इस प्रकार की चोट पाई जा सकती है।

15. उपरोक्त तथाकथित घायल चश्मदीद गवाहों के बयान से यह स्पष्ट है कि उनके बयान में बड़े विरोधाभास हैं और तथाकथित घायल चश्मदीद गवाहों द्वारा दिया गया बयान चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। मुखबिर योगीलाल चौधरी ने *फरदबेयान* में विशेष रूप से कहा है कि *भाला* से लैस लक्ष्मण चौधरी, *भाला* से लैस हकीम चौधरी, *लाठी* से लैस हुकुम चौधरी घटना स्थल पर आए थे। यह आगे कहा गया है कि लक्ष्मण चौधरी ने नेमी चौधरी (मृतक) की बाईं जांघ पर *भाला* से हमला किया, जबकि बाकी आरोपी व्यक्तियों ने *लाठी* से हमला किया। इसी तरह, मुखबिर द्वारा यह कहा गया है कि उसके बाएं पैर पर हकीम द्वारा हमला किया गया था, जबकि उसकी भाभी राजपति देवी पर आरोपी द्वारा हमला किया गया था। इसके बाद सभी घायलों को अस्पताल लाया गया

और इलाज के दौरान नेमी चौधरी की मौत हो गई। *फरदबेयान* में सूचना देने वाले का भी यही मामला है कि उसके सिर पर *लाठी* से वार भी किया गया था।

15.1.हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अदालत के समक्ष बयान देते समय, अभि. साक्षी-6 मुखबिर ने कहा है कि लक्ष्मण ने नेमी पर *भाला* के साथ हमला किया था। इसी तरह, हकीम ने भी नेमी पर *भाला* से उसकी जांघ पर हमला किया, जबकि बाकी अभियुक्तों ने *लाठी* से हमला किया। राजपति देवी पर *भाला* द्वारा बाएं हाथ पर हमला किया था। उक्त गवाह ने जिरह में स्वीकार किया कि उसने नहीं देखा कि वह किस तरफ गिर गया था और वह बेहोश हो गया और उसके बाद अगले दिन 11 बजे सुबह अस्पताल में उसे होश आया।

16. इसी तरह, अभि. साक्षी-4, जो मुखबिर का पुत्र है, ने अदालत के समक्ष कहा कि हकीम ने योगी पर हमला किया, यानी, *भाला* से मुखबिर और इसलिए, वह गिर गया और उसके बाद योगी पर सभी अभियुक्तों द्वारा *लाठी* द्वारा हमला किया गया। इसके बाद नेमी को सभी अभियुक्तों ने घेर लिया और लक्ष्मण पर *भाला* से प्रहार किया। हकीम ने नेमी पर *भाला* से उसके अंडकोष पर हमला किया।

17. अभि. साक्षी-9 सुशील चौधरी, जो मृतक के चचेरे भाई हैं, ने अदालत के सामने अलग कहानी रखी। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण ने भाला से अपने पिता की जांघ पर जबकि हकीम ने *भाला* से नेमी लाल की पसलियों के पिंजरे पर मारा था। अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने भी *लाठी* द्वारा उसके पिता पर हमला किया।

18. अभि. साक्षी-10, जो मुखबिर की पत्नी है, ने यह भी कहा है कि लक्ष्मण और हकीम ने *भाला* के माध्यम से नेमी पर भी हमला किया था।

19. गवाहों के उपरोक्त बयान से यह स्पष्ट है कि सभी तथाकथित चश्मदीद गवाहों, जिन्हें चोटें भी आई हैं, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया है, ने अदालत के समक्ष कहा है कि मृतक नेमी लाल पर दो अभियुक्तों ने हमला किया था और *भाला* को

पसलियों के पिंजरे के साथ-साथ मृतक की जांघ पर भी वार किया गया था। हालांकि, इस स्तर पर, यदि चिकित्सा साक्ष्य को ध्यान से देखा जाता है, तो यह पता चलता है कि मृतक को एक बाहरी चोट लगी है।

20. रिकॉर्ड से आगे यह पता चलता है कि हालांकि चश्मदीद गवाहों ने अदालत के समक्ष विशेष रूप से कहा है कि उन्हें भी प्रश्नगत घटना में चोटें आई हैं, उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र अदालत के समक्ष पेश नहीं किए गए थे और न ही जिस डॉक्टर ने उक्त गवाहों को उपचार दिया था, अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी जांच नहीं की गई है। इस प्रकार, वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, तथाकथित चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति, जो मृतक के निकट संबंधी हैं, संदिग्ध है।

21. यह भी विवाद में नहीं है कि अभियोजन पक्ष जांच करने वाले अधिकारी से पूछताछ करने में विफल रहा है और इसलिए, यह अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील एवं बचाव पक्ष विशिष्ट मामला है कि जांच अधिकारी से पूछताछ न करने के कारण गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

22. हमने संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अभियुक्त-अपीलार्थियों के बयान भी देखे हैं। संबंधित न्यायालय द्वारा अभियुक्त से केवल एक सवाल पूछा गया था।

22.1. इस स्तर पर, हम **ब्रह्मदेव साहनी (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे। इस न्यायालय ने संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयान के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार किया था और उसके बाद यह अभिनिर्धारित किया था कि यह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में उपस्थित होने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से और अलग से रखना विचारण न्यायालय का कर्तव्य है। भौतिक परिस्थिति का अर्थ है वह परिस्थिति या सामग्री जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष अपनी दोषसिद्धि की मांग कर रहा है। धारा 313 के तहत अभियुक्त से

पूछताछ का उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उसके खिलाफ पेश होने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाना है। अभियुक्त के सामने भौतिक परिस्थितियों को रखने में विफलता एक गंभीर अनियमितता है। यदि यह दिखाया जाता है कि उसने अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह दिखाया है तो यह मुकदमे को दूषित कर देगा।

22.2.जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियुक्तों के खिलाफ भौतिक परिस्थिति उनके सामने नहीं रखी गई थी और इसलिए, यह अपीलार्थियों-अभियुक्तों का विशिष्ट मामला है कि उसी के कारण उनके प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया गया है।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, तो हमारा विचार है कि जब छह स्वतंत्रता गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और मृतक के केवल पांच करीबी रिश्तेदारों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है, तो उनके बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, घटना के स्थान पर तथाकथित चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति भी संदिग्ध है। घायल चश्मदीद गवाहों का चोट का प्रमाण-पत्र अदालत में पेश नहीं किया गया और न ही घायल गवाहों का इलाज करने वाले डॉक्टर से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ की गई। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा जांच अधिकारी से भी पूछताछ नहीं की गई थी और संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करते समय आरोपी से केवल एक सवाल पूछा गया था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। इस प्रकार, वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों-अभियुक्तों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद निचली अदालत ने विवादित निर्णय पारित किया है।

24. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। बैरिया थाना केस नं. 85/96 से उत्पन्न सत्र परीक्षण सं. 697/97 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

एफ.टी.सी.-II, बेतिया द्वारा पारित दोषसिद्धि का अचेपित निर्णय दिनांक 09.05.2017 और सजा का आदेश दिनांक 17.05.2017 रद्द एवं दरकिनार किया जाता है। अपीलार्थी लक्ष्मण चौधरी, हकीम चौधरी, अम्रिका चौधरी उर्फ बिक्रम चौधरी, चंद्रिका चौधरी और भोला चौधरी उर्फ भोला साहनी को निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। अपीलकर्ताओं में हकीम चौधरी, अम्रिका चौधरी उर्फ बिक्रम चौधरी, चंद्रिका चौधरी और भोला चौधरी उर्फ भोला साहनी जमानत पर हैं, उन्हें उनके संबंधित जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है। चूंकि अपीलार्थी लक्ष्मण चौधरी जेल में है, इसलिए उसे यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो तो तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, ।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

संजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।